

IV 24/12



100=

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BB 104517



1

12-11-12
11 MAR 2012
गाजीपुर

आकर्षण एजूकेशनल एण्ड चैरिटेबल ट्रस्ट
ग्राम-सागापाली पो0-ढोटारी, गाजीपुर
न्यास विलेख (INSTRUMENT OF TRUST)

यह न्यास विलेख आज दिनांक 12.06.2012 को गाजीपुर जनपद में श्रीमती सावित्री सिंह पत्नी- श्री सत्यदेव सिंह ग्राम-सागापाली, ढोटारी, गाजीपुर, उ0प्र0 द्वारा किया गया जिन्हें आगे न्यासकर्ता/संस्थापक कहा जायेगा और क्योंकि न्यास कर्ता/संस्थापक पर रु0 11000.00 (ग्यारह हजार रुपये मात्र) की धनराशि है जिसे की वह पुरुषार्थ एवं सामाजिक कार्यों हेतु दान देने की इच्छा करती है न्यास कर्ता/संस्थापक उक्त राशि में अप्रति संहरणीय न्यास बनने हेतु इच्छुक है जो कि समाज उत्थान एवं विशेष रूप से शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करेगा यह ट्रस्ट "आकर्षण एजूकेशनल एण्ड चैरिटेबल ट्रस्ट, सागापाली, ढोटारी, गाजीपुर" के नाम से जाना जायेगा तथा कार्य करेगा।

न्यास कर्ता/संस्थापक की यह भी इच्छा है कि वह विभिन्न स्रोतों से जिसमें दान उपहार, ऋण आदि भी सम्मिलित है के द्वारा ट्रस्ट के कोष सम्पदा एवं साधनों को और बढ़ाये ताकि ट्रस्ट अपने उद्देश्यों में प्रभावी रूप से सफल हो सके।

और क्योंकि न्यास कर्ता/संस्थापक ने अपनी इच्छा के अनुकूल रु0 11000.00 (ग्यारह हजार रुपये मात्र) की नगद राशि ट्रस्ट को प्रदान की है।

और क्योंकि वर्तमान में इस ट्रस्ट को पंजीकृत/प्रशासनिक कार्यालय निकट सत्यदेव इन्स्टीट्यूट आफ टेक्नोलॉजी गाधिपुरम (बोरसिया) पो0-फदनपुर, जनपद-गाजीपुर, उ0प्र0 रहेगा। अधिक सुविधा जनक स्थान मिलने व मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष की सहमति से इस कार्यालय को समयानुसार स्थानान्तरित किया जा सकेगा।

न्यास कर्ता/मैनेजिंग ट्रस्टी द्वारा ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु नियमावली निम्न प्रकार धाराबद्ध एवं घोषित किया जाता है।



सावित्री सिंह

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

रु. 100

ONE
HUNDRED RUPEES



सत्यमेव जयते

भारत INDIA
INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BB 104518

★ य. नं. को. वि. नं. ...
दिनांक
★ 01 MAY 2012
★ गाजीपुर

2

आकर्षण एजूकेशनल एण्ड चैरिटेबल ट्रस्ट

10-सागापाली, पो-डोटारी, गाजीपुर

उद्देश्य एवं नियमावली
ट्रस्ट के उद्देश्य

ट्रस्ट निम्न उद्देश्यों की पूर्ति के लिए कार्य करेगा-

1. पाठशालाओं, विद्यालयों, महाविद्यालयों, पुस्तकालयों, वाचनालयों, प्रयोगशालाओं चिकित्सालयों, अनाथालयों, वृद्धाश्रमों, अनुसंधान केन्द्रों, छात्रावासों, कम्प्यूटर केन्द्रों, निराश्रित केन्द्रों, सर्वेक्षण केन्द्रों तथा सामुदायिक विकास केन्द्रों पर्यावरण, एड्स उत्थान केन्द्रों कि स्थापना नामकरण, विकास, सम्बद्ध, आवद्ध, प्रबन्ध, संचालन आदि कर सकना तथा आवश्यक होने पर विभिन्न परिषदों, विभागों, प्रतिष्ठानों, संस्थाओं स्तरों शासन आदि से उन्हें मान्य, सम्बद्ध, आवद्ध, पंजीकृत, अनुमोदित, स्वीकृत करा सकना।
2. विभिन्न विषयों एवं पाठ्यक्रमों यथा व्यवहारिक प्रायोगिक कला, वाणिज्यिक, वैज्ञानिक, क्रीडा, मार्शल आर्ट, संगीत, तकनीकी, सामाजिक, आधुनिक भाषा, अंग्रेजी, उर्दू, कम्प्यूटर, प्रोफेशनल आदि विषयों पर विभिन्न स्तरीय शिक्षा प्रदान करने का प्रबन्ध करना।
3. नागरिकों विशेष कर बालकों, बालिकाओं, युवक, युवतियों की शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक एवं सर्वांगीण विकास तथा स्वावलम्बी बनाने हेतु खादी गार्मेंट्स बोर्ड की योजनाओं को संचालित करना।
4. विभिन्न प्रतियोगिताओं एवं प्रतिस्पर्धा परीक्षाओं में छात्र-छात्राओं को सफल बनाकर स्वावलम्बी बनाने हेतु उनके अध्ययन अध्यापन/आवास/सुविधाओं आदि की व्यवस्था कर सकना।
5. विभिन्न कक्षाओं, वर्गों के लिए पाठ्यक्रम मानक निर्धारित करना, परीक्षाएँ लेना।
6. पुस्तकों, साहित्य, पत्रों, पाठ्यक्रमों आदि का सृजन, सम्पादन, प्रकाशन, मुद्रण, वितरण आदि कर सकना।
7. शिक्षा एवं शिक्षा पद्धतियों का विकास कर सकना तथा विभिन्न विषयों पर अनुसंधान कर सकना।

स्वालिनी सिंह

कमरा...3



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BB 104519

3

8. सांस्कृतिक कार्यक्रम, पर्यावरण कार्यक्रम, एड्स कार्यक्रम, अधिवेशन, गोष्ठियो, सम्मेलन, प्रतियोगिताएं बैठके, विशेष कक्षाएं, छात्र प्रोत्साहन कार्यक्रम आदि आयोजित कर सकना।
9. समाज कल्याण विभाग, नावार्ड, कपार्ट, परिवार कल्याण विभाग, पर्यावरण, मानव संसाधन मंत्रालय, एड्स पर कार्य कर सकना।
10. सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, स्क्रीन प्रिंटिंग, प्रिंटिंग आदि की शिक्षा कर सकना।
11. सामाजिक न्याय के विकास हेतु एवं राष्ट्रीय अखण्डता के अक्षुण्य रखने हेतु विद्यालय, महाविद्यालय, बी०टी०सी० कालेज, बी०एड० कालेज, बी०पी०एड० कालेज, मेडिकल कालेज, विधि महाविद्यालय, पालीटेक्निक कालेज, इंजीनियरिंग कालेज, नर्सिंग एवं पैरामेडिकल कालेज, आई०टी०आई०, पुस्तकालय, फार्मसी, फीजियोथीरेपी आदि संस्थानों की स्थापना कर सकना तथा इनकी शाखाओं की स्थापना, चिकित्सा केन्द्र, अस्पताल, प्रेस की स्थापना, संचालन, विकास आबद्ध, लैब टैक्नीशियन, सम्बद्ध, प्रबन्ध आदि कर सकना।
12. व्यक्ति विशेष अन्य सोसाइटी ट्रस्ट द्वारा संचालित विद्यालयों, महाविद्यालयों, बी०टी०सी० कालेज, बी०एड० कालेज, बी०पी०एड० कालेज, मेडिकल कालेजों, पालीटेक्निक कालेजों, नर्सिंग एवं पैरामेडिकल कालेजों, इंजीनियरिंग कालेजों को अपने ट्रस्ट द्वारा संचालित कर सकना एवं ट्रस्ट में ऐसे संस्थानों को प्राप्त करना, समायोजित कर सकना।
13. ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु विभिन्न राष्ट्रीय एवं अन्तरराष्ट्रीय संगठनों, संस्थाओं व्यक्तियों से सहयोग प्राप्त कर सकना अथवा प्रदान कर सकना।
14. विधि सम्मति उपयोगी जानकारी का प्रचार एवं प्रसार कर सकना।
15. आयुर्वेदिक औषधियों का उत्पादन करना एवं उसका प्रचार कर सकना।
16. कृषि उपयोग कार्य कर सकना व उसका प्रचार प्रसार कर सकना।
17. पर्यावरण को सुधारने हेतु प्रयास कर सकना एवं पर्यावरण सुधार हेतु जानकारी दे सकना एवं सेमिनार कर सकना।
18. एड्स के बारे में जनजागरण करने हेतु प्रचार प्रसार कर सकना।
19. पुस्तक, पुस्तिकाएं, पत्र पत्रिकाएं, समाचार पत्र आदि को प्रकाशित, मुद्रित, सम्पादित, वितरित, बिक्री कर सकना।

कमरा...4

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

₹. 100

ONE
HUNDRED RUPEES



सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

BB 104520

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

4

20. पत्राचार द्वारा, अध्यापन/अध्ययन को प्रोत्साहित कर सकना तथा तत्सविधित आवश्यक व्यवस्थाएं कर सकना।
21. ट्रस्ट द्वारा दी जा रही सेवाओं/वस्तुओं के लिए समुचित शुल्क/मूल्य/निर्धारित करना तथा प्राप्त करना।
22. उपभोक्ता अधिकार, पर्यावरण सुधार, ऊसर सुधार जैसे सामाजिक दायित्व के विषयों पर जन चेतना जागृत करने हेतु कार्य कर सकना।
23. धार्मिक स्थलों का निर्माण व जीर्णोद्धार कर सकना।
24. जनकल्याण हेतु विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन कर सकना तथा क्रियान्वयन कर सकना।
25. विभिन्न आयोजनों एवं कारणों हेतु छात्रवृत्ति पुरस्कार सहायता एवं वित्तीय सहायता, स्मृति चिन्ह आदि प्रदान कर सकना।
26. विभिन्न संस्थाओं/विद्यालयों/बीटीसी0 कालेजों/बी0एड0 कालेजों/बी0पी0एड0 कालेजों/पालीटेक्निक कालेजों/नर्सिंग एवं पैरामेडिकल कालेजों/महाविद्यालयों/मेडिकल कालेज, विधि महाविद्यालयों/इंजीनियरिंग कालेजों/प्रतिष्ठानों के विशेषाधिकार (Franchise) प्राप्त कर सकना तथा अपने विशेषाधिकार (Franchise) अन्य को प्रदान कर सकना। कोई समिति स्वयं या अपने द्वारा संचालित किसी भी तरह के संस्थान को न्यास में समाहित करने की इच्छुक हो तो, उस समिति द्वारा प्रस्ताव स्वीकृत होने पर, न्यासियो एवं न्यास मण्डल/बोर्ड के अध्यक्ष की अनुमति से ही, संस्था/समिति को न्यास में समाहित किया जा सकेगा और वह समिति/संस्था न्यास की संस्था सम्पत्ति) मानी जायेगी।
27. ट्रस्ट के कोष एवं सम्पदा में वृद्धि करना, विनियोजन करना उसका ट्रस्ट के उद्देश्य में प्रयोग करना।
28. ट्रस्ट जन सामान्य के हित में कार्य करेगा। ट्रस्ट यथा सम्भव अपनी सेवाएं/वस्तुएं/लागत मूल्य पर ही देने का प्रयास करेगा। ट्रस्ट द्वारा जनहित में सड़क खडन्जा, तालाबों का निर्माण, मछली पालन, पशुपालन आदि का प्रचार कर सकना।

कमश...5

सालिनी सिंह



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BB 104522

6

डा० प्रीति सिंह पुत्री— श्री गंगा प्रसाद सिंह, पता— गोराबाजार, रविन्द्रपुरी, गाजीपुर, सतीश चन्द्र सिन्हा पुत्र— स्व० बच्चूलाल सिन्हा पता— रामपुर उदयमान, नई बस्ती, पो०— सिविल लाईन, बलिया, श्रीमती सुमन सिंह पत्नी— प्रो० आनन्द सिंह पता— 5 वर्धमान परिसर, चुना भट्टी, कोलार रोड, भोपाल (म०प्र०), सत्यदेव सिंह पुत्र— स्व मर्याद सिंह, पता— ग्रा०—सागापाली, पो०— ढोटारी, गाजीपुर, डा० लक्ष्मण सिंह गोरास्या पुत्र— गोमा जी गोरास्या पता— 135, विद्यापति नगर, नानाखेड़ा, निकट बस स्टैण्ड, उज्जैन (म०प्र०), डा० सुभाष चन्द्र राय पुत्र— रामाशीष राय, पता— ग्रा०+पो०— रानी, बेगुसराय (बिहार), डा० सानन्द कुमार सिंह पुत्र— श्री सत्यदेव सिंह पता— ग्रा०—सागापाली, पो०— ढोटारी, गाजीपुर, पंकज सिंह पुत्र— श्री कृष्ण कुमार सिंह पता— ग्रा०+पो०—पूर बलिया को ट्रस्टी सुनिश्चित किया जाता है।

2. वर्तमान मैनेजिंग ट्रस्टी अपनी जीवन काल में जब चाहे अपना उत्तरदायित्व ट्रस्टीयो में से किसी एक ट्रस्टी को बहुमत के आधार पर स्थानान्तरित कर सकते हैं।

3. किसी भी नये ट्रस्टीयो के चयन हेतु इच्छुक अभ्यर्थी को 50000/- पचास हजार रुपये का बैंक ड्राफ्ट (ट्रस्ट के नाम) बनवाकर आवेदन करना होगा जिसे ट्रस्टीयो के समक्ष रखा जायेगा ट्रस्टीयो द्वारा 3/4 बहुमत से स्वीकृत होने पर व मैनेजिंग ट्रस्टी के अनुमति के बाद ही उसे ट्रस्टी बनाया जा सकेगा। किन्ही कारणो से ट्रस्टी न बनाये जाने की स्थिति में आवेदक की धनराशि वापस कर दी जायेगी।

4. किसी ट्रस्टी को ट्रस्ट से पद मुक्ति करने की शर्तें निम्न हैं मृत्यु, ट्रस्ट विरुध कार्यों में संलिप्तता पाये जाने पर, पागल होने पर, व्यभिचारी होने पर, त्याग पत्र देने पर, पद मुक्ति/निष्काषित किया जा सकता है।

3. मैनेजिंग ट्रस्टी पद का हस्तान्तरण—

1. मैनेजिंग ट्रस्टी का कर्तव्य है कि अपने जीवन काल में अपने उत्तराधिकारी मैनेजिंग ट्रस्टी की व्यवस्था कर दे।

2. मैनेजिंग ट्रस्टी अपने जीवन काल में ही मैनेजिंग ट्रस्टी का पद ट्रस्टीयो में किसी को प्रदान कर सकता है।

कमरा...7

प्रतीति सिंह



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BB 104523

★ वरिष्ठ कोषाधिकारी
दिनांक
★ 11 MAY 2012
★ शांतीपुर

7.

3. किसी भी व्यक्ति के मैनेजिंग ट्रस्टी बनते ही उसे वह सभी अधिकार प्राप्त हो जायेंगे। कि इस ट्रस्ट डीड के मैनेजिंग ट्रस्टी का प्रदत्त किये गये है।

यदि कोई अन्य व्यवस्था वर्तमान मैनेजिंग ट्रस्टी द्वारा रजिस्टार के यहा रजिस्टर्ड कर सुनिश्चित न कर दी जाय तो श्रीमती सावित्री सिंह के मृत्यु के पश्चात डा0 आनन्द कुमार सिंह पुत्र- श्री सत्यदेव सिंह इस ट्रस्ट के मैनेजिंग ट्रस्टी होंगे। नव नियुक्त मैनेजिंग ट्रस्टी को 6 माह के अन्दर ट्रस्टीयो का बहुमत प्राप्त करना होगा अन्यथा कि स्थिति में किसी भी ट्रस्टी को 3/4 बहुमत के आधार पर ही मैनेजिंग ट्रस्टी बनाया जायेगा। बहुमत के आधार पर नये मैनेजिंग ट्रस्टी के चयन होने तक डा0 आनन्द कुमार सिंह पुत्र- श्री सत्यदेव सिंह, गड0-सागापाली, पो0- ढोटारी, गाजीपुर मैनेजिंग ट्रस्टी बने रहेंगे।

5. यह कि मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष को चाहिए कि वह अपने उत्तराधिकारी मैनेजिंग ट्रस्टी लिखित रूप से अपने हस्ताक्षर करके व्यक्त कर दें। मैनेजिंग ट्रस्टी यह व्यवस्था रजिस्टार के यहाँ रजिस्टर्ड कराके अथवा अपनी वसीहत द्वारा भी सुनिश्चित कर सकता है इस सन्दर्भ में यह भी स्पष्ट करना है कि कार्यरत मैनेजिंग ट्रस्टी द्वारा अपने जी व न को उत्तरार्ध में की गई वसीहत/इच्छा/व्यवस्था ही अन्तिम रूप से मान्य होगी।

6. यह कि मैनेजिंग ट्रस्टी जब भी उचित समझे बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की बैठक आयोजित कर सकता है जिसकी अध्यक्षता मैनेजिंग ट्रस्टी स्वयं करेगा।

7. यह कि बोर्ड आफ ट्रस्टीज उन्हें विषयों पर विचार करेगा तथा सुझाव देगा जिनको कि मैनेजिंग ट्रस्टी द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

8. यह कि बोर्ड आफ ट्रस्टीज द्वारा दिये गये किसी भी सुझाव को मानना स्वीकार करना अथवा अस्वीकार करना पूर्णतया मैनेजिंग ट्रस्टी की इच्छा एवं विवेक पर निर्भर करता है। इस सन्दर्भ में मैनेजिंग ट्रस्टी के द्वारा लिया गया निर्णय ही मान्य एवं अन्तिम होगा।

कमशः...8

सावित्री सिंह



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BB 104524

8

9. यहाँ पर यह भी स्पष्ट किया जाता है कि यदि कार्यरत मैनेजिंग ट्रस्टी अपने जीवन काल में अपना कार्यभार अपने ट्रस्टीयो मे से किसी को वास्तविक रूप से हस्तांतरित कर देता है तो वह अपने निर्णय पर पुनः विचार नहीं कर सकेगा।

10. कार्यरत मैनेजिंग ट्रस्टी तभी अपने ट्रस्टीयो मे से किसी का हस्तान्तरण विषय पर विचार एवं पुनः विचार करने हेतु स्वतंत्र है जब तक कि वास्तविक रूप से कार्यभार अपने उत्तराधिकारी को न प्रदान कर दें।

11. कार्यरत मैनेजिंग ट्रस्टी द्वारा अपने ट्रस्टीयो मे से किसी को दिया गया कार्यभार हस्तान्तरण समस्त अधिकारो सहित पूर्ण हस्तान्तरण माना जायेगा।

4. बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज

1. यह कि मैनेजिंग ट्रस्टी यदि उचित समझे तो विभिन्न विषयों पर विचार विमर्श करने एवं सलाह प्राप्त करने हेतु बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज का गठन कर सकता है जिसमें कि अधिकतम पच्चीस सदस्य होंगे।

2. यह कि मैनेजिंग ट्रस्टी किसी भी व्यक्ति को बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज मनोनीत करते समय उसका कार्यकाल स्पष्ट करेगा। बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की कार्य अवधि मैनेजिंग ट्रस्टी की इच्छा पर निर्भर करती है तथा मैनेजिंग ट्रस्टी किसी भी व्यक्ति का कार्यकाल समाप्त होने के पूर्व भी ट्रस्टीयो की राय/बहुमत से बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज के पद से हटा सकता है। बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज, मैनेजिंग ट्रस्टी के अनुग्रह तक/प्रसाद पर्यन्त ही कार्य करेंगे।

5. मैनेजिंग ट्रस्टी का विशेषाधिकार - मैनेजिंग ट्रस्टी को यह विशेषाधिकार प्राप्त होगा कि वह ट्रस्ट के अन्तर्गत कार्यरत किसी भी अधिकारी/कर्मचारी द्वारा लिये गये निर्णय में हस्तक्षेप कर निरस्त/स्वीकृत/अस्वीकृत/संशोधित कर दें। मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष, ट्रस्ट के कार्यकलापो में किसी भी स्तर पर कोई दिशा निर्देश दे सकता है जो सभी सम्बन्धित पक्षों को अन्तिम रूप से मान्य एवं स्वीकार होगा। मैनेजिंग ट्रस्टी अपने विशेषाधिकार के तहत 5 ट्रस्टीयो का चयन अपने सम्पूर्ण जीवन काल में बिना आवेदन शुल्क या प्रस्ताव पर उनकी सम्पत्ति के आधार पर कर सकता है। मैनेजिंग ट्रस्टी ट्रस्ट हित में चल-अचल सम्पत्ति का ब्याज, दान, गिरवी, भाड़ा दे सकता है व ले सकता है।

कमश...9

रमलिका सिंह



BB 104525

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

9

6. मैनेजिंग ट्रस्टी का कार्यलय एवं सुविधाएं- ट्रस्ट का कार्यलय ही मैनेजिंग ट्रस्टी का कार्यलय होगा।

7. कार्य क्षेत्र - ट्रस्ट का कार्य क्षेत्र सम्पूर्ण भारत होगा वह सामाजिक उत्थान हेतु भारत के किसी राज्य व व्यक्ति विशेष से सहायता एवं राय प्राप्त कर सकता है अथवा सहायता व राय दे सकता है।

8. सचिव/उपसचिव की नियुक्ति -

1. यह कि मैनेजिंग ट्रस्टी ट्रस्ट के दिन प्रतिदिन के कार्यों को एवं देखभाल करने के लिए ट्रस्ट के लिए एक सचिव एवं आवश्यकता पड़ने पर एक अथवा अधिक उपसचिवों की नियुक्ति कर सकेगा।

2. यह कि सचिव/उपसचिव के वेतन, भत्ते सुविधाएं, कार्य मैनेजिंग ट्रस्टी द्वारा निश्चित किये जायेंगे।

3. यह कि उक्त सचिव/उपसचिव, मैनेजिंग ट्रस्टी के अनुग्रह तक प्रसाद पर्यन्त कार्य करेंगे। मैनेजिंग ट्रस्टी ट्रस्टियों के बहुमत से उक्त पदों पर कार्यरत व्यक्तियों के किसी प्रकार की अनुशासनहीनता/कार्यशिक्षिता ट्रस्ट के विरुद्ध कार्य करने की स्थिति में उनके विरुद्ध प्रशासनिक/विधिक/अनुशासनात्मक/प्रशासनात्मक कार्यवाही कर सकता है। तथा उक्त पक्षों के अधिकार एवं कर्तव्य किसी अन्य व्यक्ति को हस्तान्तरित/प्रदान कर सकता है।

9. उपाध्यक्ष की नियुक्ति-

1. मैनेजिंग ट्रस्टी, ट्रस्ट के दिन प्रतिदिन के कार्यों को करने व देखभाल करने के लिए एक उपाध्यक्ष की नियुक्ति एवं आवश्यकता पड़ने पर अधिकतम दो उपाध्यक्षों की नियुक्ति कर सकेगा।

2. यह कि उपाध्यक्ष/उपाध्यक्षों के वेतन, भत्ते, सुविधाएं, कार्य, नियम मैनेजिंग ट्रस्टी द्वारा निश्चित किये जायेंगे।

कमश....10

विनी सिंह



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BB 104526

10

3. यह कि उपाध्यक्ष/उपाध्यक्षो, मैनेजिंग ट्रस्टी के अनुग्रह तक प्रसाद पर्यन्त कार्य करेंगे। मैनेजिंग ट्रस्टी किसी भी समय उक्त पदों पर कार्यरत व्यक्तियों के किसी प्रकार की अनुशासनहीनता/कार्यशिथिलता ट्रस्ट के विरुद्ध कार्य करने की स्थिति में उनके विरुद्ध प्रशासनिक/विधिक/अनुशासनात्मक/प्रशासनात्मक कार्यवाही कर सकता है। अथवा उक्त कार्यरत व्यक्तियों को उनके पदों से हटा सकता है तथा इन पदों पर नियुक्तियां कर सकता है अथवा उक्त पदों के कर्तव्य एवं अधिकार किसी अन्य व्यक्ति को हस्तान्तरित व प्रदान कर सकता है।

10. मैनेजिंग ट्रस्टी के अधिकार एवं कर्तव्य-

यह कि इस डीड के अन्तर्गत मैनेजिंग ट्रस्टी को प्राप्त विभिन्न अधिकार एवं कर्तव्यों के अतिरिक्त मैनेजिंग ट्रस्टी के निम्न अधिकार व कर्तव्य भी होंगे।

(क) बोर्ड आफ ट्रस्टीज की बैठक बुलाना एवं उसकी अध्यक्षता करना।

(ख) ट्रस्ट के समस्त कार्यों का उत्तरदायी ढंग से देख रेख करने के लिए ट्रस्ट के उपाध्यक्ष, सचिव, उपसचिवों की नियुक्ति करना।

(ग) इस डीड में उल्लिखित ट्रस्ट के उद्देश्य एवं नियमावली में संशोधन/परिवर्तन कर सकना जो कि रजिस्टार के यहाँ रजिस्ट्रीकृत होने के दिनांक से मान्य होगा।

11. उपाध्यक्ष के अधिकार एवं कर्तव्य -

मैनेजिंग ट्रस्टी की अनुपस्थिति में अध्यक्ष की लिखित अनुमति से अध्यक्ष द्वारा बताये गये विषय पर विचार/विमर्श हेतु बोर्ड आफ ट्रस्टीज की बैठक बुलाना एवं अध्यक्षता करना परन्तु उपाध्यक्ष बिना मैनेजिंग ट्रस्टी की अनुमति के कोई निर्णय नहीं ले सकता।

12. सचिव के अधिकार एवं कर्तव्य -

ट्रस्ट के समस्त कार्यों के लिए ट्रस्ट का सचिव अन्तिम रूप से कार्यवाही एवं उत्तरदायी है। ट्रस्ट के सचिव के निम्न कर्तव्य एवं अधिकार हैं।

1. ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति करने हेतु सभी उपाय एवं कार्यवाही करना।

2. ट्रस्ट के अन्तर्गत होने वाले सभी कार्यकलापों एवं दिन प्रतिदिन की गति विधियों पर नियंत्रण रखना।

कमश....11

सावित्री सिंह

भारतीय गैर न्यायिक

बीस रुपये

रु.20



Rs.20

TWENTY
RUPEES

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

14AA 614655

11

3. ट्रस्ट के अन्तर्गत संचालित कार्यों हेतु पदाधिकारियों की नियुक्ति, पदमुक्त तथा उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक प्रशासनिक कार्यवाही कर सकना।
4. विभिन्न कार्यकलापो उद्देश्यों को पूर्ण करने हेतु कोष्ठो/ विभागो/ केन्द्रों/ संस्थाओं/ उपसंस्थाओं का गठन कर सकना तथा उनके संयोजको/निदेशको पदाधिकारियों आदि की संचालन हेतु आवश्यकतानुसार नियम/उपनियम बना सकना।
5. ट्रस्ट संस्था को प्राप्त किसी शिकायत की जाँच हेतु निर्णायक नियुक्त कर सकना।
6. एक से अधिक विशेष अधिकारी नियुक्ति होने की स्थिति में उनका कार्य विभाजन कर सकना।
7. प्रचार/प्रसार/मुद्रण/प्रकाशन/वितरण/विक्रय की सर्वोत्तम व्यवस्था करना।
8. जन सामान्य के कल्याणार्थ विभिन्न आयोजन कर सकना। सचिव द्वारा किसी प्रकार का लिया गया निर्णय मैनेजिंग ट्रस्टी की स्वीकृति के बाद ही मान्य होगा।
13. उपसचिव के अधिकार एवं कर्तव्य -
 1. सचिव की अनुपस्थिति में उनके पद के अधिकार एवं कर्तव्य का पालन करना।
 2. सचिव द्वारा लिखित रूप से प्राधिकृत करने पर उन अधिकारों/कर्तव्यों का पालन करना जो उसे लिखित रूप से प्राप्त है।
 3. सचिव द्वारा लिखित रूप से कार्यभार/कर्तव्यों का पालन करना।
14. बैंक एकाउण्ट -
 1. ट्रस्ट का खाता किसी बैंक में खोला जा सकेगा मैनेजिंग ट्रस्टी स्वयं अथवा उसके द्वारा इस हेतु अधिकृत व्यक्ति, मैनेजिंग ट्रस्टी द्वारा दिये गये निर्देशों के अन्तर्गत खाता खोल सकता है अथवा संचालित कर सकता है। सामान्यतया खाता मैनेजिंग ट्रस्टी व ट्रस्टी का संयुक्त रहेगा विशेष परिस्थिति में खाते का संचालन तीन लोग भी (ट्रस्टियों में से) संयुक्त रूप से कर सकते हैं। मैनेजिंग ट्रस्टी द्वारा एकल खाते का संचालन किया जा सकता है।

सावित्री सिंह

12/15



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

14AA 614656

12

2. ट्रस्ट के अन्तर्गत संचालित अथवा कार्यरत किसी भी विद्यालय महाविद्यालय/ संस्थान/ केन्द्र/कार्यक्रम इकाई कार्यलय का पृथक नाम से बैंक खाता खोला एवं संचालित किया जा सकता है। इस स्थिति में स्वयं ट्रस्ट के अध्यक्ष द्वारा अधिकृत व्यक्ति द्वारा दिये गये निर्देशों के अन्तर्गत बैंक खाता खोला जा सकता है अथवा संचालित किया जा सकता है।

15. विधिक कार्यवाही - संस्था/ट्रस्ट की तरफ से कोई विधिक कार्यवाही की जाती है या उसके विरुद्ध कोई विधिक कार्यवाही होती है तो सचिव मैनेजिंग ट्रस्टी की अनुमति से अधिवक्ता की नियुक्ति एवं विभिन्न न्यायालयों में पैरवी स्वयं या अन्य को अधिकृत कर सकता है।

16. सम्पत्ति सम्बन्धी -

1. ट्रस्ट चल/अचल सम्पत्ति के सम्बन्ध में वह सभी अधिकार रखता है जो कि एक नागरिक/व्यक्ति को प्राप्त होते हैं।

2. ट्रस्ट की ओर से चल/अचल सम्पत्ति के सम्बन्ध में ट्रस्ट की ओर से कोई निर्णय लेने/लेख, विलेख बनाने हेतु मैनेजिंग ट्रस्टी किसी व्यक्ति को अधिकृत कर सकता है।

3. ट्रस्ट का मैनेजिंग ट्रस्टी, ट्रस्ट की ओर से चल/अचल सम्पत्ति के सम्बन्ध में कोई भी लेख/विलेख बनाने एवं निर्णय करने हेतु पूर्णतया समर्थ एवं अधिकृत है।

4. मैनेजिंग ट्रस्टी ट्रस्ट चल/अचल सम्पत्ति कय, विकय कर सकता है, रेहन रख सकता है, किराये पर दे सकता है, ले सकता है अथवा दे सकता है।

5. मैनेजिंग ट्रस्टी ट्रस्ट किसी से ऋण, दान, उपहार,आग्रह, भेंट, सम्मान, पुरस्कार, स्मृति चिन्ह, मानदेय आदि प्राप्त कर सकता है और दे सकता है।

6. मैनेजिंग ट्रस्टी ट्रस्ट धन को कहीं भी विनियोजित कर सकता है, सुरक्षित कर सकता है, किसी बैंक, संस्था कम्पनी आदि की किसी योजना में धन/सम्पत्ति का विनियोजित कर सकता है।

सावित्री सिंह

भारतीय गैर न्यायिक

बीस रुपये

रु.20



Rs.20

TWENTY
RUPEES

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

14AA 614657

13

7. मैनेजिंग ट्रस्टी चल/अचल सम्पत्ति की प्रत्याभूति (Guarantee), भाड़ा कय (Hire Purchase), अनुज्ञप्ति (License), बन्धक (Mortgage), भारित (Charge), गिरवी (Pledge), विभाजीत (Partition) आदि कर सकता है/ले सकता है/दे सकता है।

17. विशेष

(क) इस ट्रस्ट के अन्तर्गत संचालित/कार्यरत किसी भी विद्यालय व महाविद्यालय/कार्यक्रम/ इकाई/ कार्यालय/ संस्था/ उपक्रम के कार्य संचालन हेतु पृथक से नियम उपनियम बनाये जा सकते हैं परन्तु यदि वह इस डीड आफ ट्रस्ट " आकर्षण एजुकेशनल एवं चैरिटेबल ट्रस्ट" ग्रा0-सागापाली, पो0- डोटारी, गाजीपुर के उद्देश्य एवं नियमावली के किसी भी प्राविधान का अतिक्रमण करते हैं तो वह नियम/उपनियम, अतिक्रमण की सीमा तक शून्य होंगे।

(ख) मैनेजिंग ट्रस्टी यदि उचित समझे तो किसी/किन्ही परिस्थितियों में इस ट्रस्ट डीड के किसी/ किन्ही प्राविधान/प्राविधानों को शिथिल कर सकते हैं तथा प्राविधान/प्राविधानों के होते हुए भी अन्यथा निर्णय ले सकते हैं इस सम्बन्ध में मैनेजिंग ट्रस्टी का विवेक/व्यवस्था ही अन्तिम होगी।



विनी सिंह

कमरा...14

14



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

14AA 614658

14

यह कि आकर्षण एजुकेशनल एवं चैरिटेबल ट्रस्ट, ग्रा०-सागापाली, पो०- ढोटारी, गाजीपुर की उक्त न्यास विलेख (Instrument of Trust) एवं उसमें सन्निहित " आकर्षण एजुकेशनल एवं चैरिटेबल ट्रस्ट " ग्रा०-सागापाली, पो०- ढोटारी, गाजीपुर की उद्देश्य एवं नियमावली एतद् द्वारा अधिनियमित, अनुमोदित, घोषित, स्वीकृत, आत्मार्पित एवं क्रियान्वित की जाती है, कि उक्त न्यास विलेख (Instrument of Trust) को पढ़कर एवं समझकर व्यवहार में लाने हेतु निम्न साक्षियों की उपस्थिति में हस्ताक्षर कर दिये गये।

इस न्यास का सृजन एवं प्रभावी दिनांक 12.06.2012 माना जाएगा।



साक्षिनी ह

15

भारतीय गैर न्यायिक

बीस रुपये

रु.20



Rs.20

TWENTY
RUPEES

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

14AA 614659

15

तैयारकर्ता : श्रीमती सावित्री सिंह पत्नी- श्री सत्यदेव सिंह ग्रा0-सागापाली, पो0-ढोठारी,
विकास खण्ड- बाराचकर, परगना- जहूराबाद, तहसील मुहम्मदाबाद, जिला- गाजीपुर

टाईपकर्ता : संदीप सिंह *संदीप सिंह*
पता- रेलवे स्टेशन रोड, जिला- गाजीपुर

(सावित्री सिंह)
मैनेजिंग ट्रस्टी

सावित्री सिंह


आकर्षण एजुकेशनल एवं चैरिटेबल ट्रस्ट,
ग्रा0-सागापाली, पो0- ढोठारी, गाजीपुर

साक्षीगण *दिग्विजय कुमार उपाध्याय*
नाम : दिग्विजय कुमार उपाध्याय पुत्र- श्री उमाशंकर उपाध्याय
पता- ग्रा0+पो0- कैथवलिया, गाजीपुर

अमित कुमार रघुवंशी
नाम : अमित कुमार रघुवंशी पुत्र- श्री अरविन्द सिंह
पता- ग्रा0-सागापाली, पो0- ढोठारी, गाजीपुर

भारतीय रजिस्ट्रिकरण अधिनियम की धारा 22 (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित व्यक्तियों की अंगुलियों के सुस्पष्ट निम्नलिखित चित्र

नाम: निम्नलिखित/ विवेक/ देव

वर्ग: उच्च

अंगुली	सूची	मध्यमा	अनामिका	कनिष्ठा

वर्ग: उच्च

अंगुली	सूची	मध्यमा	अनामिका	कनिष्ठा

साक्षिणी चिह्न

नाम: निम्नलिखित/ विवेक/ देव

वर्ग: उच्च

अंगुली	सूची	मध्यमा	अनामिका	कनिष्ठा

वर्ग: उच्च

अंगुली	सूची	मध्यमा	अनामिका	कनिष्ठा

वर्ग: उच्च

साक्षिणी चिह्न

बाल दिनांक 12/6/12 श्री कोटी स्टेट बाल
संस्था सं. 12 ले. सं. 393/424
पृष्ठ 24


12/6/12
प्रमुख - बाली

